

(C)

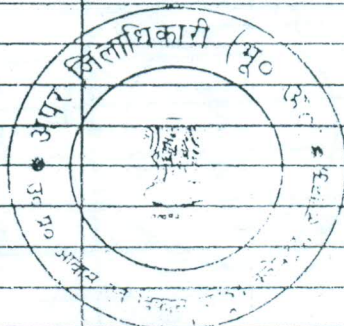
परिग्रह-पत्र

1. योजना का नाम : सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ

2. ग्राम का नाम : सेवई परगना-बिजनौर तहसील व जिला-लखनऊ

शासन की विज्ञप्ति संख्या-2686/आठ-2-2007-04 एच0बी0/2005 दिनांक 05.12.07 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 82.391 हेक्टेअर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्नवत है तथा अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिग्रह पत्र के पृष्ठ 8 पर प्रस्तर 2 व संलग्न सूची के अनुसार आज दिनांक 07-10-08 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7, इन्दिरा नगर, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

ग्राम-सेवई	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हे० मे)	अन्य विवरण
	2	0.589	
	4	0.093	
	5	0.618	
	6	0.101	
	7	0.551	
	9	0.291	
	10	0.164	
	11	0.266	
	12	0.354	
	13	0.190	
	14	0.266	
	15	0.120	
	16	0.132	
	17	0.215	
	18	0.296	
	19	0.266	
	20	1.163	
	21	0.366	
	23	0.547	
	24	0.089	
	25	0.076	
	26	0.238	
	27	0.114	
	28	0.231	
	29	0.271	
	30	0.156	
	31	0.152	
	32	0.638	
	33	0.202	
	34	0.436	
	36	0.187	
Carry Over		9.378	

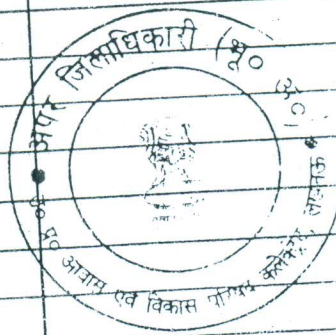


क्रमशः पेज...2

Handwritten signature
Handwritten initials

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

	B/F	29.379	
	126	0.140	
	127	0.190	
	128	0.419	
	129	0.622	
	130	0.200	
	131	0.782	
	132/1	0.253	
	132/2	0.253	
	135	0.445	
	136	0.437	
	137	0.494	
	138	0.347	
	140	0.853	
	141	0.890	
	142	0.405	
	143	1.104	
	144	0.087	
	145	0.112	
	146	1.378	
	147	1.135	
	148	0.228	
	152	0.895	
	155	0.521	
	156	0.277	
	157	0.326	
	158	1.026	
	159	0.269	
	160	0.252	
	161	0.164	
	163	0.441	
	164	0.785	
	165	1.239	
	166	1.191	
	167	0.826	
	171	0.139	
	Carry Over	48.504	

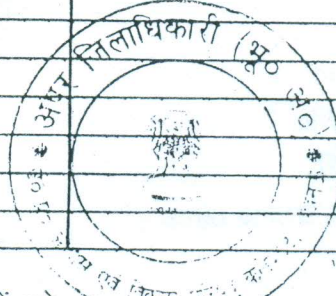


क्रमशः पेज.....5 पर

3/11/19
8/11/19

आवास एवं विकास विभाग
बलरामपुर

	B/F	78.570	
	306	0.151	
	307	0.379	
	308	0.178	
	309	0.120	
	310	0.085	
	311	0.101	
	312	0.093	
	313	0.153	
	314	0.132	
	315	0.291	
	316	0.084	
	317	0.084	
	318	0.178	
	319	0.765	
	320	0.371	
	321	0.276	
	323	0.076	
	324	0.304	
	Total	82.391	



नोट : 1

उपरोक्त भूमि के कास्तकारों को बोम-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।

2

परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वे दिनांक 26.08.08 तथा नियोजन समिति की आख्या के दृष्टिगत वस्तुस्थिति की सूची (प्रति संलग्न) जो कि इस कब्जा प्रमाण पत्र का हिस्सा होगी, के कालम 5 व 12 पर अर्जन निकाय द्वारा की गयी टिप्पणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3

नहर, संड़क, ग्राम समाज एवं समाधि, मन्दिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल तथा सरकारी विभागों की भूमि को छोड़ कर कब्जा दिया जा रहा है।

Handwritten signature

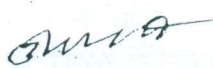
Handwritten signature

निर्माण खण्ड-सप्तम

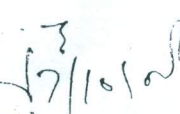
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नखन

4

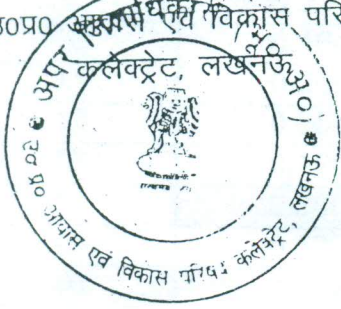
उपरोक्त खसरा नम्बरों की उल्लिखित भूमि का कब्जा उपर्युक्त नोट के क्रमांक 1 से 4 के अधीन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 7-10-08 को हस्तान्तरित किया गया।

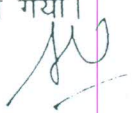

(उषा सेना यादव)
अमीन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ
प्रतिहस्ताक्षरित


(अमिताभ प्रकाश)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ




(रमेश चन्द्र यादव)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-7

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,
लखनऊ
प्रतिहस्ताक्षरित


(राजीव कुमार)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-7

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।